प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-19.01.2026

ऑपरेशन कन्विक्शन

- **श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा।**

- **चन्दौली पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा पॉक्सो एक्ट के दोषी 01 अभियुक्त (हिस्ट्रीशीटर) सुभाष सोनकर पुत्र सकलू सोनकर निवासी बिसौरी थाना व जिला चन्दौली को आजीवन कारावास की सजा व 50000 रु0 अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया।**

- **अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में जनपद व गैर-जनपद में गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, दहेज उत्पीड़न आदि के दर्जनों अभियोग पंजीकृत है।**

- **मा0 न्यायाधीश स्पेशल जज पॉक्सो श्री अनुराग शर्मा जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 04 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।**

जनपद चन्दौली थाना चन्दौली के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 15.03.2025 को धारा 65(2) बीएनएस व 5m/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त (हिस्ट्रीशीटर) 1.सुभाष सोनकर पुत्र सकलू सोनकर निवासी बिसौरी थाना व जिला चन्दौली के विरुद्ध मु0अ0सं0-60/25 धारा 65(2) बीएनएस व 5m/6 पॉक्सो एक्ट थाना चन्दौली में पंजीकृत किया गया।

आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक सदर, अनन्त चन्द्रशेखर (IPS) के पर्यवेक्षण में मानिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी, शमशेर बहादुर सिंह (एडीजीसी) व थाना चन्दौली के पैरोकार हे0का0 अजय कुमार की प्रभावी पैरवी एवं साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक 19.01.2026 को मा0 न्यायाधीश स्पेशल जज पाक्सो श्री अनुराग शर्मा जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त (हिस्ट्रीशीटर)1.सुभाष सोनकर पुत्र सकलू सोनकर निवासी बिसौरी थाना व जिला चन्दौली को आजीवन कारावास की सजा व 50000 रु.के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 04 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।